मिजोरम सरकार के राजपत्र में तत्काल प्रकाशनार्थ।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

दिनांकः नवम्बर, 2015
27 कार्तिक, 1937 (शक)

निदेश

सं. 576/3/वीपीपीएटी/2015/एसडीआर-खण्ड I:- यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क यह उपबंधित करती है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतों का डाला जाना और रिकार्ड करना ऐसी रीति से किया जाए जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट किया जाए; और

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए, मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए; और

3. यतः, भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 12 नवम्बर, 2015 की अपनी अधिसूचना सं. 576/3/ईवीएम/2015/एसडीआर-खण्ड I के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क के अंतर्गत मिजोरम राज्य के 12-एजवाल उत्तर-III (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को पहले ही ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रुप में विनिर्दिष्ट किया है जिसमें वर्तमान उप-निर्वाचन के लिए किए जाने वाले मतदान में मत, मतदान मशीनों के द्वारा डाला एवं रिकॉर्ड किया जाएगा;

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के उक्त परन्तुक के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा -

(i) मिजोरम के 12-एजवाल उत्तर-III (अ.ज.जा) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसमें उक्त निर्वाचन क्षेत्र से मिजोरम विधान सभा के लिए वर्तमान उप-निर्वाचन में मतों को डालने एवं रिकार्ड किए जाने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली प्रत्येक मतदान मशीन में ड्राप बॉक्स के साथ प्रिंटर संलग्न किया जाएगा।

(ii) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा विकसित किए गए डिजाइन के ड्रॉप बॉक्स सहित प्रिंटर को ऐसे प्रिंटर के रूप में अनुमोदित करता है जिसे उपर्युक्त उल्लिखित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतों को डालने और रिकार्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली उक्त मतदान मशीनों के साथ संलग्न किया जाएगा।

आदेश से,

(के.एफ. विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव